

राजभाषा प्रकोष्ठ
HINDI CELL

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
DOCTOR HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M.P.)
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय A CENTRAL UNIVERSITY)



ई-मेल : rajbhasha@dhsgsu.edu.in
दूरभाष क्र. : (07582) 297118

क्रमांक: रा.भा.प्र./33/2025/ 4067

दिनांक 17/11/2025

परिपत्र/ Circular

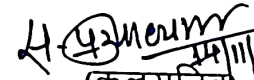
विषय: राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) का अनुपालन।
Subject: Compliance of Section 3(3) of the Official Languages Act, 1963.

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय में राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के शत-प्रतिशत अनुपालन हेतु निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से द्विभाषी (हिन्दी-अंग्रेजी) रूप में जारी होने हैं :-

1. सामान्य आदेश
2. परिपत्र
3. संकल्प
4. नियम
5. ज्ञापन
6. अधिसूचनाएँ
7. प्रशासनिक या अन्य रिपोर्ट
8. प्रेस विज्ञप्तियाँ
9. संविदाएँ
10. करार
11. अनुज्ञप्तियाँ
12. अनुज्ञापत्र
13. निविदा सूचना एवं निविदा प्रारूप
14. नीति संबंधी दस्तावेज।

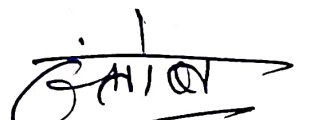
अतः समस्त अनुभाग/विभाग/कार्यालय प्रमुख से अनुरोध है कि उपर्युक्त दस्तावेज अनिवार्य रूप से द्विभाषी में ही जारी करें साथ ही हिन्दी पत्रों का उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही दिया जाए, ताकि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का उल्लंघन न हो।

आदेशानुसार,


(कुलसचिव)

प्रतिलिपि:-

1. समस्त निदेशक, प्रशासनिक एवं अध्ययनशाला
2. समस्त विभागाध्यक्ष, केन्द्र प्रभारीगण
3. नियंत्रण अधिकारी, समस्त कार्यालय/अनुभाग/शाखा/प्रकोष्ठ
4. प्रभारी वित्ताधिकारी एवं प्रभारी परीक्षा नियंत्रक
5. समस्त शिक्षकगण/अधिकारीगण/कर्मचारीगण
6. प्रभारी, जनसंपर्क अधिकारी
7. प्रभारी, सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ- वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
8. कुलपति सचिवालय, माननीय कुलपति महोदय को सूचनार्थ।
9. कुलसचिव के निजी सहायक- सादर सूचनार्थ।
10. गार्ड फाइल


(राजभाषा अधिकारी)